

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्यय अनुभाग)

प.4(236)वित्त-1(1)आ.व्यय/2010/

जयपुर, दिनांक 02/02/2012

समस्त कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 603 / 2011-12)

विषय:-तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में जिला परिषद/
पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में राशि का हस्तान्तरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती
राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ
165(13) परावि/ले.ब./ते.वि.आ./10-11/5874 दि. 02.02.2012 के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों
के अनुसार संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख
अंकितानुसार कुल राशि रु. 1175.25 लाख (अक्षरों रु. ग्यारह करोड़ पच्चेहतर लाख पच्चीस
हजार) मात्र को निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे ।

-: व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग सं. 41

(राशि लाख रु. में)

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196- जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(14)- तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों
के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान

[02]- कार्यकलाप / गतिविधियां

12- सहायतार्थ अनुदान (आयोजना-निम्न)

235.08 लाख

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197- ब्लॉक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

(08)- तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों
के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान

[01]- कार्यकलाप / गतिविधियां

12- सहायतार्थ अनुदान (आयोजना-निम्न)

940.20 लाख

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में
संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृती का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान
मद का विवरण एवं आयोजना निम्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे ।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य
प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा ।

भयवीर
शर्मा

(सुधीर शर्मा) 02/02/12

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित ।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-5) विभाग ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त ।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग ।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)